पत्रांक– 15 / जी 1–01 / 2017
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक.....2017

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों के शिक्षक / शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के मार्च, 2017 से मई, 2017 तक के लिए वेतनादि / गैर–वेतनादि मद में 544,27,29,479 / – (पाँच सौ चौवालीस करोड़ सताईस लाख उनतीस हजार चार सौ उन्यासी), माह सितम्बर, 17 हेतु वेतनादि / गैर–वेतनादि मद में (जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के वेतनादि मद को छोड़कर) रूपये 187,82,55,621 / – (एक सौ सतासी करोड़ बयासी लाख पचपन हजार छः सौ इक्कीस) मात्र एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के सेवानिवृत्त शिक्षकों / कर्मियों के बकाया सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु रूपये 50,00,00,000 / –(पचास करोड़) मात्र अर्थात कुल रूपये 782,09,85,100 / –(सात सौ बयासी करोड़ नौ लाख पच्चासी हजार एक सौ) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति तथा उक्त स्वीकृत राशि में से माह मार्च, 2017 से मई, 2017 तक के लिए अग्रिम स्वरूप स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रूपये 544,27,29,479 / – (पाँच सौ चौवालीस करोड़ सताईस लाख उनतीस हजार चार सौ उन्यासी) मात्र का सामंजन एक मुश्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों / घाटानुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों / शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों जो, विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत हैं, के माह मार्च, 2017 से मई, 2017 तक के लिए वेतनादि मद में भुगतान हेतु तत्काल रूपये 344,92,34,781 / – (तीन सौ चौवालीस करोड़ बयानवे लाख चौतींस हजार सात सौ इक्यासी) मात्र, एवं माह सितम्बर, 17 के वेतनादि मद (जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को छोड़कर) में भुगतान हेतु रूपये 99,36,08,562 / –

(निन्यानवे करोड़ छत्तीस लाख आठ हजार पाँच सौ बासठ) मात्र अर्थात कुल रूपये 444,28,43,343/– (चार सौ चौवलीस करोड़ अठ्ठाइस लाख तेंतालीस हजार तीन सौ तेंतालीस) मात्र का व्यय वेतनादि विषय शीर्ष–31.04–सहायक अनुदान वेतन से तथा राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों से विधिवत रूप से सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक/शिक्षकेतर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के माह मार्च, 2017 से मई, 2017 तक गैर–वेतनादि मद में भुगतान हेतु रूपये 199,34,94,698/– (एक सौ निन्यानवे करोड़ चौंतीस लाख चौरानवे हजार छः सौ अन्ठानवे) मात्र, माह सितम्बर, 2017 के गैर–वेतनादि मद में भुगतान हेतु रूपये 88,46,47,059/– (अठ्ठासी करोड़ छियालीस लाख सैंतालीस हजार उनसठ) मात्र एवं सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 1966/2015 फणीभूषण पाण्डेय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.09.2016 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मियों के बकाया सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु रूपये 50,00,00,000/– (पचास करोड़) मात्र अर्थात कुल रूपये 337,81,41,757/– (तीन सौ सैंतीस करोड़ एकासी लाख एकतालीस हजार सात सौ संतावन) मात्र का व्यय विषय शीर्ष–3106–सहायक अनुदान गैर–वेतनादि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्ययक में उपबंधित राशि से करने की स्वीकृति निम्नवत दी जाती है:–

(राशि रूपये में)

कमांक	विश्वविद्यालय का नाम	वेतनादि मद की राशि माह मार्च,17 से मई, 17 तक	वेतनादि मद की राशि माह सितम्बर,17	कुल राशि (स्तम्भ 2+3)	गैर–वेतनादि मद की राशि माह मार्च,17 से मई, 17 तक	वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु सेवान्त लाभ के मद में माह सितम्बर 17 हेतु देय राशि	कतिपय न्यायालीय वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सेवान्त लाभ के मद में देय राशि	कुल राशि (स्तम्भ 5+6+7)	कुल योग स्तम्भ (4+8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	209491650	72120256	281611906	180007800	58777290	0	238785090	520396996
2	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	957557796	337950975	1295508771	395404672	182254931	0	577659603	1873168374
3	बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	452493093	155640386	608133479	332443479	217297505	0	549740984	1157874463
4	वीर कुवंर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	258057636	93739907	351797543	121109907	88049585	0	209159492	560957035
5	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	194990226	0	194990226	111740256	56826585	0	168566841	363557067
6	बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	338475165	121019817	459494982	118155261	90747311	0	208902572	668397554
7	तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर	425472123	0	425472123	391201870	122501779	0	513703649	939175772

8	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	476168610	164195587	640364197	305767269	48649110	500000000	854416379	1494780576
9	के0एस0डी0एस0 विश्वविद्यालय, दरभंगा	131668011	47114584	178782595	37664184	19542963	0	57207147	235989742
10	मौलना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना	4860471	1827050	6687521	0	0	0	0	6687521
कुल राशि		**3449234781**	**993608562**	**4442843343**	**1993494698**	**884647059**	**500000000**	**3378141757**	**7820985100**

2. स्वीकृत राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट शीर्ष– 2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लधुशीर्ष 102– विश्वविद्यालयों को सहायता, माँग संख्या 21– 0001 पटना विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 21–2202.03.102.0001.31.04 सहायक अनुदान वेतन तथा 0001.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0002 मगध विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 21–2202.03.102.0002.31.04 सहायक अनुदान वेतन तथा 0002.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0003–बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर (बिहार विश्वविद्यालय), विपत्र कोड 21–2202.03.102.0003.31.04 सहायक अनुदान वेतन तथा 0003.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0004–जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, विपत्र 21–2202.03.102.0004.31.04 सहायक अनुदान वेतन तथा 0004.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0005–वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा विपत्र कोड– 21–2202.03.102.0005.31.04 सहायक अनुदान वेतन तथा 0005.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0008–बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, विपत्र कोड – 21–2202.03.102.0008.31.04 सहायक अनुदान वेतन तथा 0008.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0009–भागलपुर विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 21–2202.03.102.0009.31.04 सहायक अनुदान वेतन तथा 0009.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0011–ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, विपत्र कोड– 21–2202.03.102.0011.31. 04 सहायक अनुदान वेतन तथा 0011.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0012–कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, विपत्र कोड– 21–2202.03.102.0012.31.04 सहायक अनुदान वेतन तथा 0012.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0016–मौलाना मजहरूल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय विपत्र कोड– 21–2202.03.102.0016.31.04 सहायक अनुदान वेतन के अन्तर्गत होगा।

3. इस स्वीकृत राशि से वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की दिनांक 03.06.2008 की बैठक के मद संख्या 13 के अधीन प्राप्त स्वीकृति से निर्गत राज्यादेश संख्या–2/जी1–08–2007 उ0शि0–1333 दिनांक 18.06.2008 में निहित स्थायी आदेश के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 15/जी 1–01/2017––01 दिनांक 27.04.2017 द्वारा मार्च, 2017 से मई, 2017 तक के लिए वेतनादि मद में स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रूपये 344,92,34,781/– (तीन सौ चौवालीस करोड़ बयानवे लाख चौतींस हजार सात सौ इक्यासी) मात्र का सामंजन "विषय शीर्ष–31.04–सहायक अनुदान वेतन' के अन्तर्गत स्वीकृत राशि से तथा गैर–वेतनादि मद में स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रूपये 199,34,94,698/– (एक सौ

निन्यानवे करोड़ चौंतीस लाख चौरानवे हजार छः सौ अन्ठानवे) मात्र का सामंजन" 31.06–सहायक अनुदान गैर–वेतनादि के अन्तर्गत स्वीकृत राशि से कर लिया जायेगा।

वेतनादि/गैर–वेतनादि मद में समायोजन के उपरान्त शेष स्वीकृत राशि 237,82,55,621/–(दो सौ सैंतीस करोड़ बयासी लाख पचपन हजार छः सौ इक्कीस) मात्र में से राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्याालयों में कार्यरत कर्मियों हेतु माह सितम्बर 2017 के लिए वेतनादि मद में (जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के वेतनादि मद को छोड़कर) रूपये 99,36,08,562/– (निन्यानवे करोड़ छत्तीस लाख आठ हजार पाँच सौ बासठ) मात्र राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु माह सितम्बर, 2017 के गैर–वेतनादि मद में भुगतान हेतु रूपये 88,46,47,059/– (अठ्ठासी करोड़ छियालीस लाख सैंतालीस हजार उनसठ) मात्र एवं सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 1966/2015 फणिभूषण पाण्डेय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.09.2016 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मियों के बकाये सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु रूपये 50,00,00,000/– (पचास करोड़) मात्र की विमुक्ति सभी विश्वविद्यालयों को एक मुश्त कर दी जायेगी।

4. वर्तमान में स्वीकृत राशि से राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतनादि मद में राशि का भुगतान निम्नांकित शर्तो एवं बंधेजों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा :–

(I) वेतनादि/पेंशनादि/सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान वैसे हीं शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को किया जायगा, जो विश्वविद्यालय सेवा में विधिवत रूप से नियुक्त अथवा सेवा निवृत हो चुके हैं तथा जिन्हें विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के प्रावधानों के आधार पर स्वीकृत पदो के विरूद्ध भुगतान अनुमान्य है।

(II) दिनांक–01.01.1996 के बाद तथा दिनांक–19.04.2007 के पूर्व जिन शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है, उनकी प्रोन्नति में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 58(10) के आलोक में आयोग की सहमति तथा 20.04.2007 से विश्वविद्यालय चयन समिति का अनुमोदन संबंधित परिनियमों में विहित प्रावधानों तथा विभागीय पत्रों के अधीन प्राप्त है।

(III) वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत की जाने वाली राशि से जिन शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का भुगतान किया जाएगा, उनके वेतनादि/पेंशनादि एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ की अनुमान्यता का निर्धारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा–35 की उप धारा–(2) एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा–35 की उपधारा (2) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के आधार पर किया गया है तथा इसमें ऐसा कोई भत्ता सम्मिलित नहीं किया जायगा, जिसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं है।

(iv) शिक्षकों के वेतनादि का भुगतान राज्य सरकार के पत्र–2374 दिनांक–29.07.2010 की कंडिका–1(10), 2(10) तथा संकल्प के एपेन्डिक्स–1 की उप–कंडिका–(ii) में अंकित निदेशों के आधार पर किया जायेगा तथा शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभागीय संकल्प संख्या–2693, दिनांक–27/08/2010 के द्वारा स्वीकृत वेतनमान में भुगतान किया जायेगा।

(v) विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत बने परिनियमों एवं राज्य सरकार के निर्देशों एवं न्यायादेशों के अनुसार नियुक्ति एवं प्रोन्नति में वाँछित अर्हता पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुए वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

(vi) तत्काल चतुर्थ चरण के नव अंगीभूत महाविद्यालयों के कर्मियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 6098/97 में दिनांक 12.10.2004 को पारित आदेश के अनुपालन में केवल वैसे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनादि एवं पेंशनादि का भुगतान किया जायगा जिनका नाम माननीय न्यायमूर्ति एस0सी0 अग्रवाल कमीशन एवं न्यायादेश के आधार पर स्वीकृत पद या 30.04.86 तक अनुशंसित पद के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त किसी भी कर्मी का भुगतान किया जाना अनियमित एवं गैर कानूनी होगा।

(vii) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 की धारा–(2) के अनुसार केवल ऐसे प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक काटि में माना जाना है जो, दिनांक 01.01.1973 के पूर्व स्वीकृत पदों पर दिनांक 18.9.1975 तक बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा/सहमति से नियुक्त हुए थें।

(viii) शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिनांक 01.04.81 के पहले तथा 31.12.95 के बाद अनुमान्य नहीं है तथा इसमें राज्य कर्मियों के लिए निर्धारित सभी नियमों, बन्धेजों तथा अन्य सभी शर्त्तों का विश्वविद्यालय द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना है। इसमें किसी भी प्रकार का ढील या फेरबदल विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति का लाभ मिल चुका हो उन्हें नियमों के विपरीत कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जायगा।

(ix) बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–35 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किये गये वेतनमान से अधिक वेतनमान अनुमान्य किये जाने की शक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार, परिनियत समिति तथा अधिकारी में निहित नहीं है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–35 में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान, किसी भी कर्मी को उच्च स्तरीय पद के वेतनमान में वेतनादि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(x) स्वीकृत राशि का भुगतान विश्वविद्यालय स्तर पर किये जाने के समय माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 5859/1996 में दिनांक 21.02.2000 तथा

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 9839/2001 में दिनांक 16.10.2001 को पारित न्याय निर्णय, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सम्पुष्ट किया जा चुका है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस क्रम में विभागीय स्तर से निर्गत पत्र संख्या 2086 दिनांक 09.11.2012 में अंकित निदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

(xi) पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान राज्य सरकार के संकल्प संख्या 1674, दिनांक 16.08.2012 में अंकित निदेशों के आधार पर किया जायगा।

(xii) विश्वविद्यालय से प्राप्त बजट की समीक्षा के क्रम में पूर्व वित्तीय वर्ष (2016–17) में की गयी गणना को ध्यान में रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष की गणना में भी मूलतः शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पद या कार्यरत की संख्या, उनमें से जो कम हो को आधार बनाया गया है। अतः वेतनादि का भुगतान केवल स्वीकृत पदों पर विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को ही किया जायेगा।

(xiii) राज्य सरकार ने हड़ताल की अवधि की अनुपस्थिति को विनियमित करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 508 दिनांक 01.03.2012 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों के संदर्भ में पूर्व में लिए गए निर्णय "काम नही तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त को अक्षुण्ण रखते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की हड़ताल अवधि की अनुपस्थिति को भी असाधारण "अवैतनिक" अवकाश के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय संसूचित किया है। अतः राज्य सरकार के द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में शिक्षक/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की किसी प्रकार की हड़ताल अवधि के वेतनादि का भुगतान, उक्त अवधि के विनियमन में राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् ही किया जायेगा।

(xiv) वैसे मामले जिनमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली विश्वविद्यालयों के कर्मियों को भुगतान करने का स्पष्ट न्यायादेश है, तो उन मामलों में भी, उपलब्ध करायी गयी राशि से प्राथमिकताा के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

(xv) न्यायादेश के आलोक में अगर किसी मामले में वादी को राशि का भुगतान करना नितान्त आवश्यक हो, तो वैसे मामले में विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(xvi) उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित शर्त्तों का विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा पालन नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा न केवल संबंधित विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान स्थगित किया जायेगा, बल्कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम–1976 की धारा–35(3) तथा 52(3) तथा अन्य विश्वविद्यालयों के मामले में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–35(3) एवं 52(6) के अन्तर्गत अनुमान्यता से अधिक भुगतान की गयी राशि संबंधित विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पब्लिक

डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली की कार्रवाई की जायेगी एवं उनके विरूद्ध न केवल प्रशासनिक कारवाई बल्कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

5. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को कतिपय न्यायालीय वाद के आलोक में स्वीकृत राशि रूपये 50,00,00,000/– (पचास करोड़) मात्र का भुगतान सिर्फ वैसे सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को किया जाएगा जो सी0डब्ल्यू0जे0सी संख्या – 1966/2015 फणीभूषण पाण्डेय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.09.2016 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश से आच्छादित होंगे। उक्त वाद से आच्छादित कर्मियों के सेवान्त लाभ के देयत्ता के पश्चात यदि राशि अवशेष रहती है तो स्वीकृत की गयी राशि से विश्वविद्यालय के वैसे सेवानिवृत्त शिक्षक/कर्मियों के सेवान्त लाभ का भुगतान किया जा सकेगा जो विश्वविद्यालय सेवा से विधिवत् रूप से नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा जिन्हें विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के प्रावधानों के आधार पर स्वीकृत पदों के विरूद्ध भुगतान अनुमान्य हो। इस राशि का विचलन किसी भी परिस्थति में अन्य मदों में नहीं किया गया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त होने के पश्चात् आगे स्वीकृत की जानेवाली राशि विमुक्त की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा इस आशय का भी प्रमाण–पत्र दिये जाने की आवश्यकता होगी, कि विधिसम्मत रूप से कार्यरत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर अनुमान्य वेतनादि का भुगतान किया गया है।

7. विभागीय पत्रांक 15/एम–1–118/2001 उ0शि0–425, दिनांक 15.03.2002 तथा पत्रांक–809, दिनांक–18.06.2003 के द्वारा विश्वविद्यालय एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के सम्पूर्ण वार्षिक लेखे का अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। इसके आलोक में वार्षिक लेखा का अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा–10(6) में विश्वविद्यालय कुलपति को मात्र स्वीकृत पद पर नियुक्ति का अधिकार है। अतः अनुकम्पा के आधार पर स्वीकृत एवं रिक्त मौलिक पद पर की गयी नियुक्ति विधि ही मान्य है। वर्णित स्थिति में स्वीकृत की जा रही राशि की गणना हेतु, स्वीकृत बल या कार्यरत बल, इसमें से जो भी कम हो को आधार बनाया गया है। विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना है कि जो व्यक्ति स्वीकृत पद पर कार्यरत नहीं है तथा जिनकी सेवा का सामंजन न्यायादेश के आलोक में विधिवत रूप से नहीं किया गया है, उनकी सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाप्त किये जाने की कारवाई विश्वविद्यालय द्वारा की जाए। अनियमित तथा अवैध रूप से कार्यरत व्यक्तियों के वेतनादि के भुगतान की किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर नहीं होगी।

9. शिक्षा विभाग के पत्र संख्या–वे0स0को0 4657/2013–57 दिनांक 13.02.15 में दिए गये निदेश के अनुपालन में वैसे शिक्षक, जिनका वेतन सत्यापन हेतु आवेदन वेतन सत्यापन कोषांग को प्राप्त नहीं कराया गया है, को उनके मूल वेतन की 25 प्रतिशत राशि की कटौती कर उन्हें वेतन भुगतान किया जायगा।

विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान हेतु पूर्ण राशि विमुक्त की जा रही है। जिन शिक्षकों के वेतन से कटौती की जा रही है, उन शिक्षकों के लिए स्वीकृत/विमुक्त राशि विश्वविद्यालय कोष में सुरक्षित रखी जायगी।

10. सेवा निवृत्ति लाभ के मद में भुगतान के समय विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि त्रिलाभ योजना के अधीन विभागीय राज्यादेशों एवं परिनियम में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल किसी सेवा निवृत्त शिक्षक को सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

11. राज्य के सभी विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत राशि एवं इससे संबंधित विवरणी को आवश्यकतानुसार शिक्षक/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतनादि/पेंशनादि मद में स्वीकृत एवं कर्णाकिंत की गई राशि में आवश्यक परिवर्तन एवं आवश्यकतानुसार न्यायादेश के अनुपालन हेतु विभाग द्वारा यथा आवश्यक निदेश भी दिया जा सकेगा।

12. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग एवं राज्य सरकार के वित (अंकेक्षण) विभाग को इस स्वीकृत राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. वित्त विभाग के पत्रांक–7355(2) दिनांक–05.10.2007, पत्र संख्या–5374 दिनांक 19.06.2015 तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक0) के पत्रांक–टी0एम0 11–877–907 दिनांक–08.11.2007 के आलोक में स्वीकृत की जानेवाली कुल रूपये 782,09,85,100/–(सात सौ बयासी करोड़ नौ लाख पच्चासी हजार एक सौ) मात्र में से विभागीय राज्यादेश संख्या 15/जी1–01/2017––01 दिनांक 27.04.2017 के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम तीन माह अर्थात मार्च 2017 से मई 2017 के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षकेतर पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि/पेंशनादि मद में अग्रिम स्वरूप स्वीकृत कुल रूपये 544,27,29,479/–(पाँच सौ चौवालीस करोड़ सताईस लाख उनतीस हजार चार सौ उनासी) मात्र का सामंजन करने के उपरान्त अवशेष राशि रूपये 237,82,55,621/–(दो सौ सैंतीस करोड़ बयासी लाख पचपन हजार छः सौ इक्कीस) मात्र की विमुक्ति निदेशक, उच्च शिक्षा के आदेशानुसार की जायेगी तथा उसकी निकासी विकास भवन अवस्थित सचिवालय कोषागार से BTC-42 पर सेवा शीर्ष से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर करने हेतु अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जायेगा।

14. स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, उच्च शिक्षा के आदेशानुसार पटना सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना से आवंटन आदेश निर्गत किये जाने के पश्चात् होगी। इस राशि की निकासी करने हेतु अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है। यह राशि इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय के स्टेट बैंक खाता में उपलब्ध करा दी जायेगी।

15. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिपरिषद् की दिनांक 14.11.2017 की बैठक में दी गयी स्वीकृति एवं संचिका संख्या 15/जी 1–01/2017 में पृष्ट 22/टि0 पर दिनांक 21.11.2017 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अरशद फिरोज)
उप सचिव

ज्ञापांक 15/जी 1–01/2017 61 पट ना, दिनांक 1/12/17

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/आय–व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी–09, वित्त विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा/कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी–05, 15/लेखापाल, उच्च शिक्षा तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दें।

1/12/17

(अरशद फिरोज)
उप सचिव